

वेडरमा स्टडर | गुगो | 12 | श्रीमती डया देवी

खता संख्या	खेसरा संख्या	रखाबा (एकड़ मी)
320	5680	0 एकड़ 8 डिसमील 0 हेक्टर

अरजती नकदी	अरजती भावली	तकसील रिमाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जीत कर सालगण मंग मय तकसील (बकाया को हल) मौजूदा साल का।

मंग भावत	सालगण	बकाया				हल (2019-2020)
		तीन वर्ष से ज्यादा (2015-2018) - (2015-2018)	3 रा वर्ष (2015-2017)	2 रा वर्ष (2017-2018)	1 सा वर्ष (2018-2019)	
मान (नकदी)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
गुजारी (भावली)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
सेस	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
सूद	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
मुतफरकात	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
मीजान	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24

तकसील अदायकरी

अदायकरी बावत	तीन वर्ष से ज्यादा (2015-2018) - (2015-2018)	बकाया				मौजालबा हल (2019-2020)
		3 रा वर्ष (2015-2017)	2 रा वर्ष (2017-2018)	1 सा वर्ष (2018-2019)	फाजिल	
मान (नकदी)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
गुजारी (भावली)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
सेस	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
सूद	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
मुतफरकात	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	
मीजान अदायकरी	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	

(1) मीजान कुल (सपजी मी) : One Rupees and Twenty Paise

(2) नाम देहिन्दा -

(3) कुल बकाया- 1.20

तारीख असला लहसील कुन्दिदा : 26-11-2019

आम महारा का बकाया मालगुजरी पर (विगत ऐसे बकाया पर जिन पर कि नॉटिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



दाया
रकी

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल पत्रों की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अधिकारिकारी से संपर्क करें।

भारत सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगात रसीद

21/27/2013
20/18/26/2014
20/14/15


सी.ए.ए. नं. 25559
19/01/2014
श्रीमती देवीका
श्रीमती देवीका
अविनाश (पिता)
जमाबंदी नंबर 83/44

खसरा संख्या 5680
विस्तार संख्या 12

रकबा (एकड़ में) 0.0820

जोते की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं बालू) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	3 वर्ष से ज्यादा	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	20/14-15
हाल	0.10			0.10	0.10
लगात	0.05			0.05	0.10
सेस	0.10			0.10	0.10
* व्याज	0.10			0.20	0.20
विविध	0.20			0.55	0.55
योग	0.55				



भुगतान का विवरण

अदाकारी	3 वर्ष से ज्यादा	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	हाल	अग्रिम
लगात				0.10	
सेस				0.05	
* व्याज				0.10	
विविध				0.20	
योग				0.55	0.55

1. कुल योग शब्दों में पचास रुपये मात्र

2. नाम अदाकारी 29/12

3. कुल बकाया

23/15
83/44
(हल्का कर्मचारी)
हस्ताक्षर एवं लिनांक

आम नगरे को बकाया (जो कि भिन्न एसे बकायों/मांग पर कि सेटिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संपत्ती कर की सूचना।

Memo No.: 496444231119041209
Date : 23-11-2019
प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री : CHHAYA DEVI W/O AVINASH KUMAR SINGH,
मोहल्ला : CHITRAGUPT NAGAR JHUMRI TELAIYA
KODERMA, 825409
8789924126

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0240000522000M0 वार्ड सं 24 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किसानों मूल्य 0% रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	81.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		81.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची: JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website: www.jhumritilaiya.org पर उपलब्ध है।
2. निपटारा की अवधि: 11.4 के अंतर्गत में एबी जल संरक्षण की स्थापना नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लागू नहीं होगा। से-सॉफ्ट कर का भी भी, धीरे।
3. प्रत्येक विद्युत बिल में सम्बंधी कर का भुगतान अनिवार्य रूप से करना है।
4. यदि किसी बिल के लिए सम्पूर्ण भुगतान कर का भुगतान विद्युत बिल के 30 दिन के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की छूट मिलेगी।
5. किसी देय धुपि को निर्दिष्ट समयावधि (यथासंभव तिमाही) के अन्दर का लेंगे। यदि नहीं भुगतान जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से जुड़ाव कर देना होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के अन्तर्गत ही है, इस स्व-निर्धारण -सह-प्रमाण एवं की स्वकीय जीव जल संरक्षण निम्न कर संकली है एवं तय गतका प्राप्त करने पर निपटारा की अवधि 13.2 के अनुसार निर्धारित होगी (File) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस सम्पत्ती का इन सम्पत्ती के लिए निर्धारित कर नहीं करवा है और/या न ही अपने अधिकार/संरक्षण को कोई सम्पत्ती अधिकार प्राप्त करता है।
8. अगर आपको नये इलेक्ट्रिक बिल का अधिकार मिले तो यह निर्दिष्ट संरक्षण की कीमतों के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.



✓ 5/11/19